



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 9, 2019/आषाढ़ 18, 1941

No. 235]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 9, 2019/ASHADHA 18, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2019

सं. 01/लैब और सैंपल एनालिसिस/रेग/2019.—कतिपय विनियमों में आगे संशोधन हेतु खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011, जिसमें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमोदन के साथ निम्न प्रारूप बनाने का प्रस्ताव करता है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप-धारा (2) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा की उप-धारा (1) के माध्यम से अपेक्षितानुसार, एतद्वारा प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को जानकारी और सूचना देते हैं कि कथित प्रारूप विनियम पर इस अधिसूचना जो सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तिथि से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात, विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य एवं औषध प्रशासन, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा ईमेल द्वारा regulation@fssai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं;

आक्षेप या सुझाव, जो किसी भी व्यक्ति से उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त किए जाएंगे, उपरोक्त निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले, खाद्य प्राधिकरण द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) संशोधन विनियम, 2019 है।

2. खाद्य सुरक्षा एवं मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011 में, विनियम 2.3 के पश्चात, निम्नलिखित विनियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“2.4 रैपिड विश्लेषणात्मक खाद्य परीक्षण किट, उपकरण या विधि की स्वीकृति-

- 2.4.1 खाद्य प्राधिकरण खाद्य परीक्षण के उद्देश्य से रैपिड एनालिटिकल फूड टेस्टिंग किट, उपकरण या विधि को मंजूरी दे सकता है।
- 2.4.2 रैपिड एनालिटिकल फूड टेस्टिंग किट, उपकरण या विधि के अनुमोदन की प्रक्रिया उन दिशानिर्देशों के अनुसार होगी, जो समय-समय पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जा सकती है।”

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./127/19]

नोट : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किया गया और पश्चातवर्ती अधिसूचना संख्या 4/15015/30/2011 तारीख 8 फरवरी, 2013 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July , 2019

No. 01/ Lab & Sample Analysis/ Reg/2019.—The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Laboratory and sample Analysis) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with the previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), is hereby published as required by sub-section (1) thereof, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in.

Objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified, shall be considered by the Food Authority.

Draft Regulations

1. These regulations may be called the Food Safety and Standards (Laboratory and sample Analysis) Amendment Regulations, 2019.
2. In the Food Safety and Standards (Laboratory and sample Analysis) Regulations, 2011, after the regulation 2.3, the following regulation shall be inserted, namely-

“ 2.4 Approval of Rapid Analytical Food testing Kit, Equipment or Method-

-
- 2.4.1 Food Authority may approve Rapid Analytical Food testing Kit, Equipment or Method for the purpose of testing of Food.
- 2.4.2 The procedure for approval of Rapid Analytical Food testing Kit, Equipment or Method shall be as per the guidelines that may be framed by the Food Authority from time to time.”

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./127/19]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended *vide* notification number F. No. 4/15015/30/2011 dated 8th February, 2013.